

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

21.10.16

न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं०- 06/2013-14

मो० जमाल, पिता-फकरुद्दीन, सा०-बरहट, थाना-पलासी, जिला-अररिया - प्रथम पक्ष
बनाम

मो० साहबुद्दीन एवं अन्य, पिता-स्व० सुखानु एवं अन्य चार, सभी सा०-बरहट,
थाना-पलासी, जिला-अररिया - द्वितीय पक्ष

आदेश

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। दिनांक 08.01.2016 को उभय पक्षों की ओर से दाखिल संधि पत्र का अवलोकन किया। संधि पत्र पर उभय पक्षों एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता का हस्ताक्षर मौजूद पाया गया। संधि पत्र के अनुसार पंचों एवं शुभचिंतकों के द्वारा मिलकर आपस में समझौता करा दिया गया। संधि पत्र में अंकित सिड्यूल "क" की भूमि आवेदक (प्रथम पक्ष) को प्राप्त हुआ तथा सिड्यूल "ख" की भूमि द्वितीय पक्ष को प्राप्त हुआ है। जिसपर न्यायालय में उभय पक्षों एवं विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर अपनी-अपनी सहमती व्यक्त की गई। संधि पत्र के आलोक में वाद का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया।

अतएव संधि पत्र को आदेश का अंश मानते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

पारित आदेश एवं संधि पत्र की प्रति विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया तथा अंचल अधिकारी, पलासी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संसोधित


अपर समाहर्ता
अररिया

६.
अपर समाहर्ता
अररिया

ज्ञापांक 120 / रा०, अररिया, दिनांक 21 / 10 / 2014
प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया को नामान्तरण अपील वाद सं० 61/2013-14/123/12 / 28/2010-11 (मो० साहबुद्दीन बनाम मो० जमाल) मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : ना० अपील वाद सं० 61/2013-14/123/12 / 28/2010-11 मूल में।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पलासी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


अपर समाहर्ता
अररिया